Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 5 | ISSN : 2582-0095

कोरोना काल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का समाजशास्त्रीय अध्ययन (सतना जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. रचना श्रीवास्तव
विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र विभाग), शा.कन्या महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश।
श्रीमती विनीता सिंह
शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, शा.कन्या महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश।

Article Info
Volume 5, Issue 5
Page Number : 58-65

Publication Issue :
September-October-2022

Article History
Accepted : 01 Oct 2022
Published : 15 Oct 2022

सारांश– कोरोना महामारी के वैश्विक संकटकाल में पूरा विश्व स्वास्थ्य के साथ–साथ आर्थिक संकट से जूझ रहा था। लोगों के रोजगार समाप्त हो रहे थे, बेरोजगारी व आर्थिक तंगी में आम जनमानस के पारिवारिक एवं सामाजिक प्रस्थिति को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया था। ऐसी परिस्थिति में एक तरफ जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता थी वहीं दूसरी तरफ रोजी–रोटी की भी समस्या घर कर गयी थी। शहरों में रोजगार समाप्त हो गये थे। ऐसी परिस्थिति में शहरों में रोजगार से निकाले गये श्रमिक अपने मूल निवास स्थानों (गॉवों) की और गये। अपने गांवों मं पहुँच कर प्रवासी मजदूरों को पंचायतों में रोजगार प्राप्त कर अपनी रोजी–रोटी की व्यवस्था करने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना जो कि भारत सरकार के महात्वाकांक्षी योजना है, महत्वपूर्ण भूमिका में रही। मनरेगा के तहत ग्रामीणों को एक वित्तियवर्ष में 100 दिवस का रोजगार प्राप्त करने की गारंटी सरकार द्वारा प्रदान की गई है एवं यदि रोजगार की मांग करने के पश्चात भी रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का भी प्रावधान अधिनियम में है, इस प्रकार यह योजना विश्व की पहली ऐसी योजना है जो रोजगार की गारंटी प्रदान करती है। इस प्रकार कोरोना काल में सतना जिले के प्रवासी मजदूर जो अन्य शहरों में रोजगार की तलाश में अपने गांव से पलायन कर गये थे, वे जब अपने गांव वापस लोटे तो उस समयावधि में ग्रामीणों के साथ–साथ प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत इस प्रकार से लाभ मिला। किस प्रकार प्रवासी मजदूरों की मानसिक, स्वास्थ्य, शारीरिक आर्थिक स्थिति में मनरेगा ने सहायता प्रदान की है, इसी का समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत शोध पत्र में करने का प्रयास किया गया है।

पारिभाषिक शब्दः– कोरोना, मनरेगा, रोजगार, प्रवासी मजदूर, ग्रामीण, बेरोजगारी, वैश्विक संकट, पलायन, रोजगार गारंटी।

प्रस्तावनाः– कोरोना महामारी का दौर जनवरी 2020 से प्रारंभ हो गया था, किन्तु इसकी भयावतः मार्च 2020 से दृष्टिगोचर होने लगा एवं 22 मार्च 2020 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा जनता कर्फू का आह्वान किया

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

गया जिसकी अपार सफलता के बाद देश व्यापी लॉक डाउन का दौर प्रारंभ हुआ इस लॉक डाउन में लोगो की नौकरियां चली गई आर्थिक तंगी आ गई उत्पादन कम होने से महगाई बढ़ गई। जो लोग शहरों मे किराए के मकान मे रहकर दैनिक मजदूरी से अपना जीवन जीवन निर्वाह कर रहे थे ऐसे प्रवासी मजदूरों की स्थिति ज्यादा खराब हुई क्योंकि इनके पास मकान का किराया दने एवं अपना घर चलाने के लिए वित्त की कमी हो गई ऐसे में ये मजदूर अपने–अपने मूल गांवो की तरफ वापस आने लगे और गांव मे आकर भी दैनिक जीवन निर्वाहन के लिए इन्हें रोजगार की आवश्यकता महसूस हुई। तथा ऐसी परिस्थिति में गांवों में ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने वाली मनरेगा योजना राम बाण सिद्ध हुई।

कोरोना काल में वैश्विक महामारी के दौर में जब पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की कगार पर आ गई थी पूरे विश्व में बेरोजगारी की मार पढ़ रही थी ऐसे समय में भारत भी अछूता नहीं था। चूँकी भारत एक ग्राम प्रधान देश हैं, जहाँ कि 68 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है और मध्यप्रदेश जो देश का हृदय प्रदेश है मध्यप्रदेश का सतना जिला भी ग्रामीण आबादी वाला जिला है। साथ ही सतना जिले में अकुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों की संख्या भी बहुमत में है। सिंचाई के साधन पर्याप्त उपलब्ध न होने के कारण कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी है, जिस कारण सतना जिले में श्रमिक देश एवं प्रदेश के अन्य स्थानों में जाकर काम करके अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था करते हैं। ऐसे में मार्च 2020 में कोरोना महामारी के कारण ऐसे प्रवासी मजदूरों को घर वापस आना पड़ा। जब ये प्रवासी मजदूर वापस आये तो इनके पास आय के साधन नहीं थे। बेरोजगारी की मार ने इन्हें मानसिक त्रास भी बहुत दिया। इस परिस्थिति में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने उम्मीद की किरण जगायी एवं निराश–हताश मन में आशा का संचार किया।

कोरोना महामारी का संक्षिप्त परिचय– कोरोना वायरस– एक ऐसी संक्रामक बीमारी है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है। इस वायरस को सन 2019 ''मैं चीन के 'वुहान' राज्य मे देखा गया जो धीरे–धीरे लगभग संपूर्ण विश्व मे फैल चुका हैं सन 2020 में यह वापरस भारत में व्यापक स्तर पर फैल गया और सरकार के लिए एक चुनौती बनकर उभरा है।

वर्ष 2021 में भी हालात ज्यादा नही सुधरे है लेकिन पहले से लोगो को थोड़ा राहत अवश्य मिली है अगर सावधानियां नहीं बरती जाती। है तो यह बिमारी और भी अधिक स्तर पर फैलने की संभावना रखती है अर्थात पहले से अधिक बढ़ सकती है यह एक ऐसा संक्रमण है जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में तेजी से फैलता है इस तरह से यह बीमारी विकराल रूप में फैलती जाती है। वर्तमान समय में ''बुखार, सर्दी, सुगंधन' आना, सांस लेने में तकलीफ होना आदि इस बीमारी के लक्षण विशेषज्ञो द्वारा बताए जा रहे जिसके आधार पर कोरोना– जाँच करवाया जा रहा है। पूरी दुनिया के विशेषज्ञों द्वारा इस वायरस पर शोध किया जा रहा है। इस वायरस का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी दुनिया भर में बड़ी तेजी से फैल रहा है। क्योंकि वायरस केवल जीवित कोशिका मे ही अपने वंश की वृद्धि कर सकते है। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते है लेकिन शरीर में प्रवेश पाकर जीवित हो जाते है और यही कारण है कि मनुष्य दिन प्रतिदिन इस वायरस से होने वाली बीमारी से ग्रस्त होते जा रहे हैं।

कोरोना महामारी एवं रोजगार–इस महामारी ने न केवल लोगो की जान ली साथ ही साथ अधिकतर लोग बेरोजगार भी हुए हैं अनेक लोग अवसाद के शिकार हुए है, इस बीमारी ने लोगो को आर्थिक रूप से अधिक कमजोर बना दिया और सरकार की अर्थव्यवस्था को भी बहुत नुकसान हुआ है। अधिकतर शहर मे रहने

वाले लोग शहर से अपने –अपने गांव की और वापस चले गये। गांवो में भी कोरोना वायरस ने अनेक लोगो की जान ली और उनके आर्थिक स्थिति को पहले से और भी अधिक दयनीय बना दिया। सरकार को जल्द से जल्द इस महामारी को जड़ से समाप्त करने की दवा का इंतजाम करना होगा साथ ही देश के सभी नागरिकों को सावधानी बरतनी होगी।

मनरेगा का परिचय – देश में लाखों लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे है। सैकड़ों परिवारों को जी–तोड़ मेहनत के बावजूद पूरे साल भरपेट रोटी नहीं मिलती। उस पर प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, महामारी में उनकी हालत बद–से–बदतर हो जाती है। ऐसे लोगों में अधिकतर अकुशल मजदूर शामिल है। इन्हीं अकुशल मजदूरों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हरेक राज्य सरकार को निर्देश देता है कि छह महीने के भीतर एक ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तैयार करे, जिससे कि रोजगार गारंटी का कार्यान्वयन किया जा सके। इस प्रकार, यह अधिनियम काम की गारंटी को कानूनी आधार प्रदान करता है और यही इस योजना का अर्थ है, जिसके माध्यम से यह गारंटी प्रभाव में आ जाती है। इसकी विशेषता है कि यह अधिनियम एक राष्ट्रीय अधिनियम है और योजना राज्य–विषयक है। इसे सन् 2006–07 में 200 जिलों में लागू किया गया और वर्ष 2007–08 में इसमें 130 और जिले शामिल कर लिये गए तथा वित्त वर्ष 2008–09 से देश के बाकी हिस्सों को भी इसमें शामिल कर लिया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण गरीबों के जीवन से जुड़ा है और उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए कृतसंकल्प है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मजदूरी रोजगार को बढ़ाना है। इस अधिनियम के अंगर्तत प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ाने, सूखा राहत–कार्य, वन–उन्मूलन और मिट्टी के कटाव को रोकने जैसे कार्यों द्वारा राष्ट्रीय विकास की ओर लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। मनरेगा संसार का पहला ऐसा अधिनियम है, जो मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार प्राप्त कर सकता है। उसकी मजदूरी का भुगतान 15 दिन में हो जाता है। मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय खर्च का 90 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार वहन करती है। इसमें महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 7 सितंबर, 2005 को अधिसूचित हुआ था और वित्तीय वर्ष 2006–07 में लागू हुआ।

मुख्य उद्देश्य– मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के उन अकुशल मजदूरों के लिए प्रति वर्ष 100 दिन की मजदूरी की गारंटी देना है, जो मेहनत–मजदूरी करके अपने परिवार की रोजी–रोटी चलाते है।

लक्ष्य –

- निर्धन ग्रामीणों को रोजगार पाने के लिए कानूनन मजबूत करना।
- समाज के असुरक्षित समूहों के पास रोजगार के वैकल्पित स्रोत न होने की स्थिति में मनरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराना।
- प्रजातंत्र को ग्राम–स्तर से ही मजबूत करना तथा शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना।

- ऐसे कार्य करना, जिनके माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन सुदृढ़ हो, जो कि सूखा, वनों की कटाई और मिट्टी के कटाव जैसे अवांछित कारणों को दूर करते हैं और सतत् विकास को प्रोत्साहन देते हैं।

कोरोना महामारी में लॉकडाउन की अवधि में ग्रामीण रोजगार एवं अर्थव्यवस्था में मनरेगा की भूमिका

प्रवासी मजदूर जो पुनः अपनी मातृभूमि की ओर प्रवासित हुए एवं ग्राम पंचायतों में जाकर मनरेगा के अंतर्गत अपना जॉब कार्ड बनाने हेतु आवेदन दिए तथा काम की मांग किए इस समस्या से निपटने के लिए मनरेगा कितना प्रभावी रहा इसका विश्लेषण करने के लिए हम निम्न तालिका का अध्ययन करेंगे।

तलिका क्र. 1

कोरोना महामारी में मनरेगा द्वारा प्रदान रोजगार का परीक्षण

क्र.	तथ्य	लाभार्थी		गैरलाभार्थी	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	वापस गांव लौटने पर जवाबदारो का व्यवहार संतोष जनक था	60	20	60	20
2	मनरेगा के बारे मे जानकारी पूर्व से थी	33	11	18	6
3	ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार प्रदान करने की पहल की गई	9	3	27	9
4	स्वंय से मनरेगा के तहत जॉब कार्ड का आवेदन दिया	30	10	00	00
5	आवदेन के 15 दिवस के अंदर रोजगार प्राप्त हुआ	6	2	00	00
6	रोजगार न होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हुआ	27	9	39	13
7	मनरेगा ने कोरोना में आर्थिक परेशानी हल की,	27	9	42	14
8	मनरेगा के तहत लॉकडाउन में समय पर मजदूरी भुगतान हुआ	48	16	48	16
9	मनरेगा महामारी में उपयोगी सिद्ध हुई	60	20	66	22
	कुल	300	100	300	100

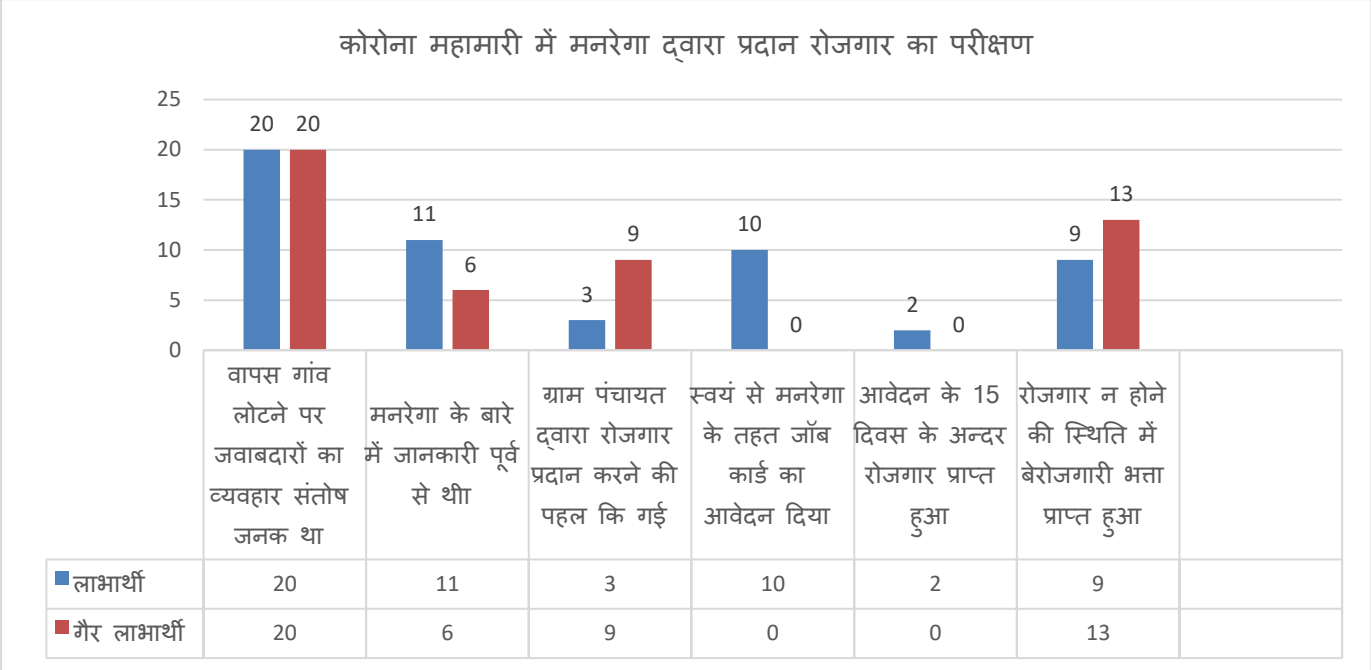

ग्राफ क्र. 1 : कोरोना महामारी में मनरेगा द्वारा प्रदान रोजगार का परीक्षण–उपरोक्त तालिका से यह विश्लेषित होता है कि कोरोना महामारी के दौर में प्रवासी मजदूरो के घर वापसी की स्थिति में अकुशल रोजगार प्रदान कर मनरेगा योजना में ग्रामीण गरीबो को रोजगार प्रदान कर उनके जीवन यापन में सहयोगी भूमिका निभाई है एवं भूखे को संजीवनी की तरह रोटी दिलाई है।

कोरोना काल में मनरेगा का प्रवासी मजदूरों की आर्थिक स्थिति एवं रोजगार पर प्रभावः– कोरोना काल में मनरेगा का प्रावासी मजदूरों की आर्थिक स्थिति एवं रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में ग्रामीणों एवं प्रवासी मजदूरी से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण निम्न तालिका में किया जा सकता है–

तालिका क्र. 2

मनरेगा का प्रवासी मजदूरों पर प्रभाव

क्र.	दृष्टिकोण	लाभार्थी		गैर–लाभार्थी	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	घर वापसी पर रोजगार प्राप्त हुआ	147	49	222	74
2	आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिली	54	18	12	04
3	कोई लाभ नहीं मिला	27	9	9	03
4	कोरोना में निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ मिला	72	24	57	19
	कुल	300	100	300	100

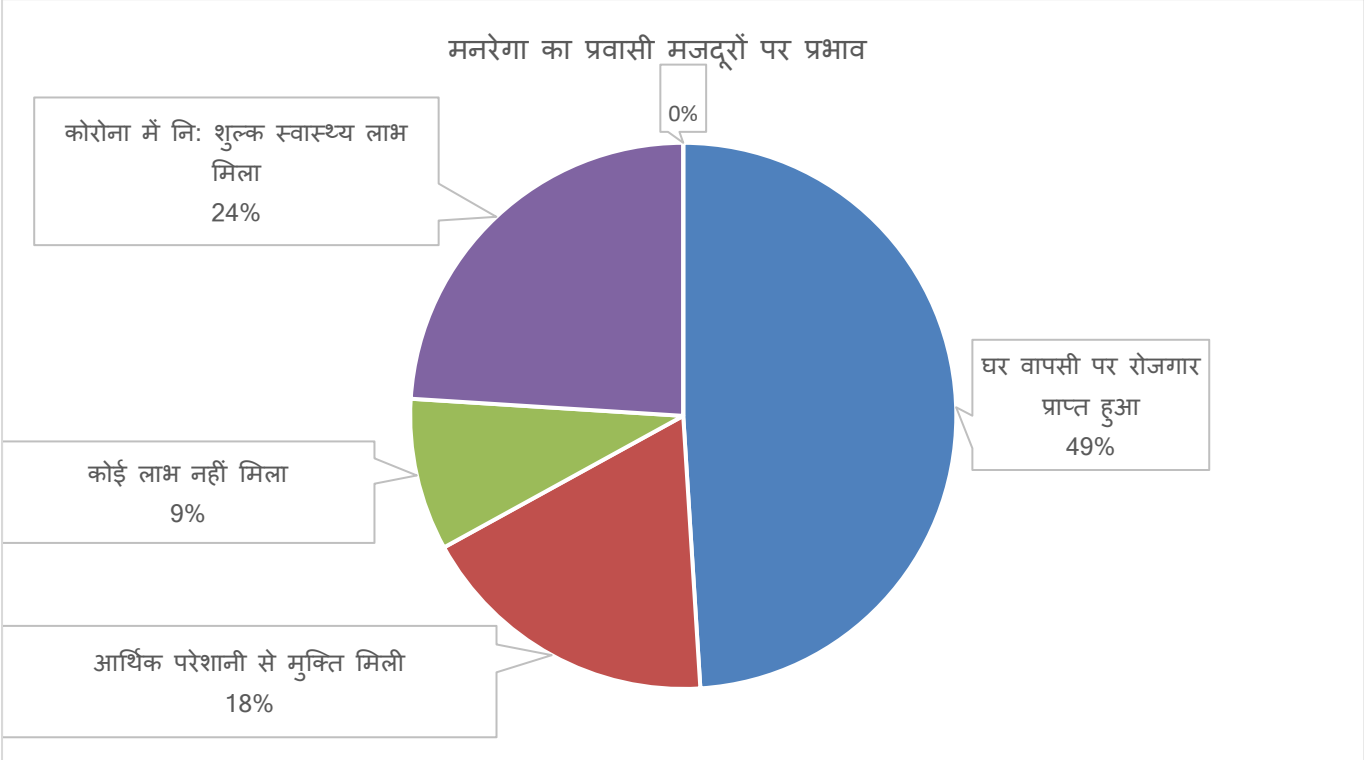

ग्राफ क्र. 2

उपरोक्त तालिका एवं ग्राफ से यह प्रदर्शित होता है, कि कोरोनाकाल में प्रवासी मजदूरों को अपने घर वापस आने पर मनरेगा के अंतर्गत रोजगार मिला, जिससे उनकी आर्थिक परेशानी में थोड़ी राहत मिली एवं साथ ही निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ भी मिला। जो यह तथ्य उजागर करता है कि मनरेगा ने वैश्विक महामारी के दौर में भी ग्रामीण बेरोजगारी एवं आर्थिक परेशानी दूर करने में महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में सिद्ध हुआ है।

सतना जिले में मनरेगा के तहत निर्मित रोजगार के अवसर– मनरेगा के अन्तर्गत किस तरह के कार्य किस ग्राम पंचायत में करवाना है, इसका निर्णय संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच की माँग के आधार पर किया जाता है, जिसे अनुमोदन हेतु जिला पंचायत कार्यालय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व कार्यक्रम समन्वयक के पास भेजा जाता है। जहाँ से अनुमोदित हो जाने के पश्चात उसे संबंधित जनपद पंचायत के पास भेज दिया जाता है एवं जनपद पंचायत उस मांग को ग्राम पंचायत के अनुसार उपयोजना में समाहित करती है, या भिन्न उपयोजना निर्मित करती है तथा स्थानीय मांग के अनुसार रोजगार के अवसर निर्मित किये जाते हैं। दूसरी ओर जब मनरेगा में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्य प्रारम्भ करना होता है तो कार्य की प्रकृति के आधार पर ग्राम पंचायतों का चयन होता है। उदाहरणार्थ बाढ़ नियंत्रण से संबंधित कार्य से रोजगार देने की बात पर विचार किया जाये तो हम पाते हैं कि फिर भी कभी–कभार अतिवृष्टि हो जाने से सम्पूर्ण सतना जिला बाढ़ की चपेट में आ सकता है, क्योंकि सतना जिले में टमस नदी बहती है।सतना जिले में मनरेगा के अंतर्गत कोरोना पूर्व एवं कोरोना पश्चात रोजगार निर्माण के अवसरों का विश्लेषण करने हेतु निम्न तालिका का अध्ययन करेगें:–

तालिका क्र. 3
सतना जिले में मनरेगा के तहत निर्मित रोजगार के अवसर

क्र0	वित्तियवर्ष	उपलब्ध कराया गया रोजगार			जार्ब कार्ड जारी
		परिवार	व्यक्ति	व्यक्ति दिवस	
1	2017 – 18	71844	49007	3097726	148280
2	2018 – 19	82421	54300	4143740	161034
3	2019 – 20	74224	49184	3806055	162084
4	2020 – 21	112829	87755	6651578	178732
5	2021 – 22	124314	98388	7038100	197690
6	2022 – 23	83592	58303	3767734	203588

उपरोक्त तालिका से प्रदर्शित होता है वित्तियवर्ष 2017 –18 में 148280 जॉब कार्ड जारी हुए, इसमें से 71884 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। तथा 49007 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया एवं 3097726 व्यक्ति दिवस का रोजगार वित्तियवर्ष के अंतर्गत सृजित किया गया। वित्तीयवर्ष 2018 –19 में 161034 जॉब कार्ड जारी हुए, इसमें से 82421 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। तथा 54300 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया एवं 4143740 व्यक्ति दिवस का रोजगार वित्तियवर्ष के अंतर्गत सृजित किया गया। वित्तीयवर्ष 2019 –20 में 162084 जॉब कार्ड जारी हुए, इसमें से 74224 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। तथा 49184 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया एवं 3806055 व्यक्ति दिवस का रोजगार वित्तियवर्ष के अंतर्गत सृजित किया गया। वित्तीयवर्ष 2020 –21 में 178732 जॉब कार्ड जारी हुए, इसमें से 112829 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। तथा 87755 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया एवं 6651578 व्यक्ति दिवस का रोजगार वित्तियवर्ष के अंतर्गत सृजित किया गया। वित्तीयवर्ष 2021 –22 में 197690 जॉब कार्ड जारी हुए, इसमें से 124314 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। तथा 98388 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया एवं 7038100 व्यक्ति दिवस का रोजगार वित्तियवर्ष के अंतर्गत सृजित किया गया।

वित्तीयवर्ष 2022 –23 में 203588 जॉब कार्ड जारी हुए, इसमें से 83592 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। तथा 58303 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया एवं 3767734 व्यक्ति दिवस का रोजगार वित्तियवर्ष के अंतर्गत सृजित किया गया। समग्र विश्लेषण से यह तथ्य सामने आता है कि सतना जिले में कोरोना पूर्व एवं कोरोना पश्चात मनरेगा के क्रियान्वयन से मनरेगा लाभार्थियों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ा है। महामारी में लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को पुनः प्रवास के दौरान अपने मातृभूमि में मनरेगा ने रोजगार प्रदान कर अकुशल श्रमिकों के लिए संजीवनी की तरह काम किया। इस तरह हम देखते है कि मनरेगा ने अपने क्रियान्वयन के साथ ही अपना प्रभाव छोड़ना प्रारम्भ कर दिया है।

संदर्भ सूची

1. सेल्जनिक एण्ड बूम, प्रिन्सीपल ऑफ सोशियोलॉजी।
2. पंथ डी0 सी0, भारत में ग्रामीण विकास, कालेज बुक, 2007।
3. ओझा सी0 एम0, सामान्य, समाजशास्त्र एवं भारत में समाज दीप्ती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2007।
4. .गुप्ता, मोतीलाल, भारतीय समाज, राजस्थान हिंदी ग्रंथ एकादमी पब्लिकेशन, जयपुर 2005।
5. अबी हबीब, एस यासिर, भारत के कोरोनावायरस लॉकडाउन में बड़ी संख्या में फसे और भूखे है।
6. वी. बाबू एस सैनी वी स्वरूप,देशभर में प्रवासी अभी भी हजारों मील पैदल चलने को मजबूर है (8 मई 2020)
7. जे स्टेलर एवं एनमसीह, भारत में, दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन ने प्रवासियों को सैकड़ों मील पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिया, 28 मार्च 2020
8. ए. श्रीवास्तसन, कोविड़ 19 लॉकडाउन प्रभावः बेरोजगारी दर बढ़कर 23.4% हो गई 7 अप्रैल 2020
9. स्टैण्डड्र्स वर्कर्स एक्शन नेटवर्क 3 रिपोर्ट्स, जना है या नहीं जाना हैः लॉकडाउन, प्रभावी श्रमिक और उनकी घर यात्रा, 8 जून (2020)
10. ओ. राशिद, जे आनंद, ए महाले, भारत कोरोना वायरस लॉकडाउन प्रवासी श्रमिकों और अनिश्चितता के लिए उनका लंबा मार्च (2020)
11. एस ने गुप्ता, एम के झा, सामाजिक नीति 19 और गरीब प्रवासीः लॉकडॉउन इंडिया में चुनौतियॉ। एवं संभावनाएँ (2020)
12. एस. के. सि वी पटेल, ए. चौधरी औ एन. मिश्रा, Covid – 19 के बीच मजदूरों का रिवर्स माइग्रेशन (2020)
13. भारत सरकार (2020) Covid – 19, 19 डैशबोर्ड, https: // www. Mygov. In /covid -19
14. आर. कपूर, Covid- 19 और भारत के श्रम बाजार की स्थिति (2020)
15. Rozgar Guarantee Yojana Madhya Pradesh, Useful for Gram Sabha representatives, groups and members working for them, Samarthan, Centre for Development support, March 2006
16. http://www.nrega-mp.org
17. http://nrega.nic.in/draft_guidelines.pdf
18. Madhya Pradesh Gramin Rozgar Yojana-Salient Features, Samarthan, Centre for Development Support, 2005
19. Ministry of rural development 2007. National rural Employment Gurantee Act 2005, New Delhi, Ministry of Rural Employment.
20. Samvad, V. 2005, Status Report of MNREGA in Madhya Pradesh. Bhopal, India, State Advisor (Madhya Pradesh)